R.N.R.

समक्ष हेमंत गुप्ता और मोहिंदर पाल, माननीय न्यायमूर्ति

कुलदीप कुमार…………, याचिकाकर्ता

बनाम

प्रबंध निदेशक, UHBVN और *अन्य……उत्तरदाता*

C.W.P. No. 6005 of 2007

12 मार्च, 2008.

भारत का संविधान, 1950 —अनुच्छेद 226 —हरियाणा राज्य द्वारा जारी निर्देश दिनांकित 8 मई, 1995 — याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु 55 वर्ष की आयु में नौकरी में रहते हो गई — 1995 के निर्देशों के आधार पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए दावा—अस्वीकृति —केवल कार्यकारी निर्देशों के आधार पर अनुकम्पा नियुक्ति की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है।— 2003 के नियमों की रूपरेखा — याचिकाकर्ता 2003 के नियम 8 के तहत परिभाषित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं कर रहा है— याचिकाकर्ता अनुकंपा आधार पर नियुक्त होने का हकदार नहीं है- 2003 के नियम 2(iii) में प्रावधान है कि एक सरकारी कर्मचारी जिसने अपनी मृत्यु की तारीख को 55 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर ली है, वह वित्तीय सहायता का हकदार है- उत्तरदाता वित्तीय सहायता के लिए याचिकाकर्ता के वैकल्पिक दावे पर विचार करने में विफल रहे | उत्तरदाता अनुग्रह मुआवजे के लिए मृत कर्मचारी के आश्रित सदस्यों के दावे पर विचार करने के लिए बाध्य हैं- 2003 के नियमों के अनुसार अनुग्रह मुआवजे या 2006 के नियमों के अनुसार मासिक वित्तीय सहायता के लिए याचिकाकर्ता को विकल्प दिया जाना आवश्यक था

अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु की तारीख पर, कार्यकारी निर्देश अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को विनियमित कर रहे थे| इसके बाद, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को विनियमित करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के अनुसार नियम तैयार किए गए हैं| नियम बनाए जाने के बाद, याचिकाकर्ता कार्यकारी निर्देशों का संदर्भ नहीं दे सकता ,क्योंकि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एक अधिकार नहीं है, बल्कि मृतक परिवार के आश्रित सदस्यों को वित्तीय संकट से निपटने के लिए दी गई अनुशंसा है , इसलिए, उक्त नियम उन सभी मामलों पर लागू होंगे जो 2003 के नियम बनाए जाने के समय लंबित थे | वास्तव में, ये नियमों के विशिष्ट प्रावधान भी हैं। चूंकि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एक अधिकार

नहीं है, बल्कि एक रियायत है, इसलिए, ऐसी रियायत को उत्तरदाताओं द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार नियंत्रित किया जाना चाहिए। (पैरा 12)

इसके अलावा यह भी अभिनिर्धारित कि या गया कि , 2003 के नियमों के नियम 2 (*iii)* के अनुसार, यदि उक्त सरकारी कर्मचारी की मृत्यु 55 वर्ष की आयु या उसके बाद नौकरी में रहते हो जाती है, तो मृत्यु होने वाले सरकारी कर्मचारी के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में अनुग्रह अनुकंपा की आवश्यकता है। अवश्य ही, याचिकर्ता की मां ने याचिकर्ता के लिए अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। ऐसा आवेदन कहीं जनवरी 2002 के महीने में किया गया होगा, क्योंकि प्रतिवादी नंबर 2 ने याचिकाकर्ता का मामला 24 जनवरी, 2002 को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए भेजा था। सरकारी कर्मचारी के मामले में, जिनकी उम्र 55 वर्ष या उससे अधिक होने के बाद मृत्यु हो गई है, नियम 2(iii) और नियम 4(C) के संदर्भ में एकमात्र विकल्प रुपये 2.5 लाख की अनुकंपा आर्थिक सहायता प्रदान करने का है।

(पैरा 15)

मदन पाल, याचिकाकर्ता की ओर से अभिवक्ता.

नरेंद्र हुड्डा उत्तरदाताओं की ओर से अभिवक्ता

निर्णय

हेमंत गुप्ता, जे

(1) याचिकाकर्ता के पिता उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (बाद में 'निगम' के रूप में संदर्भित) में लाइनमैन के रूप में कार्यरत थे।27 दिसंबर, 2001 को उनका निधन हो गया | याचिकाकर्ता की मां ने जनवरी, 2002 में अपने पति की मृत्यु के बाद अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया । याचिकाकर्ता ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने के लिए 8 मई, 1995 की नीति के अनुसार सभी मौजूद औपचारिकताएं पूरी कर ली थी । हालाँकि, इससे पहले कि कोई निर्णय लिया जाता, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए **हरियाणा मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा सहायता नियम, 2003** (इसके बाद '2003 नियम' के रूप में संदर्भित) तैयार किया गया था। प्रतिवादी निगम द्वारा भी उक्त नियमों को अपनाया गया |

(2) याचिकाकर्ता का मामला है कि याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु के समय उनकी उम्र 55 वर्ष, 8 महीने और 17 दिन थी। उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, निगम द्वारा संचार अनुबंध पी-5, dated 24 दिसंबर, 2003 के माध्यम से, अनुकंपा नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया गया | वर्तमान रिट याचिका में उक्त संचार को चुनौती दी है| यह भी दर्ज किया गया है कि 10 फरवरी, 2004 को, हरियाणा सरकार ने उक्त नियमों में संशोधन किया, जिसमें तय किया गया कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु 55 वर्ष की आयु या उसके बाद नौकरी में रहते हो जाती है , तो उसको 2.5 लाख रुपये की अनुकंपा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी| यह भी दर्ज किया गया है कि याचिकाकर्ता के दावे पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि उसके पिता की मृत्यु के समय उसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक थी लेकिन ऐसी शर्त मान्य नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु के समय उसकी आयु 55 वर्ष से अधिक थी और इस प्रकार, वह अभी भी2.5 लाख रुपये की अनुकंपा वित्तीय सहायता का हकदार है। यह भी बताया गया है कि याचिकाकर्ता के मृत पिता अपने पीछे अपनी पत्नी, जो अनपढ़ है और तीन बच्चे छोड़ गए हैं। चूंकि याचिकाकर्ता बड़ा बेटा है, इसलिए वह अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाने का हकदार है।

(3) जवाब में, यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता का जन्म 5 जून, 1968 को हुआ था और इस प्रकार, अपने पिता की मृत्यु के समय उसकी उम्र लगभग 33 वर्ष थी, और इसलिए, अनुकंपा नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता का मामला 24 दिसंबर, 2003 को खारिज कर दिया गया है। खारिज करने का कारण दिया कि याचिकाकर्ता निर्धारित आयु से अधिक था और याचिकाकर्ता के पिता की 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद मृत्यु हो गई थी। लिखित बयान में यह भी कहा गया है कि 2003 के नियमों के लागू होने की तारीख तक सभी लंबित मामलों का निर्णय उक्त नियमों के अनुसार किया जाना है। इसलिए, याचिकाकर्ता अनुकंपा वित्तीय सहायता या अनुकंपा आधार पर नियुक्ति का हकदार नहीं है।

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान अभिवक्ता ने जोरदार तर्क दिया कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय मृत कर्मचारी की मृत्यु की तारीख पर लागू नियमों के आधार पर किया जाना चाहिए। चूंकि याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु 2003 के नियम बनाने से पहले हो गई थी, इसलिए, अनुकंपा नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय 8 मई, 1995 की नीति के अनुसार किया जाना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले **'अभिषेक कुमार बनाम हरियाणा**

राज्य और अन्य,[1] का संदर्भ दिया गया है -," जिसमें अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने के लिए मृत्यु की तारीख को प्रासंगिक माना गया था।" इसके बाद इस कोर्ट की डिविजन बेंच के फैसले **'नीरज मलिक बनाम राज्य सरकार और अन्य '**[2] का संदर्भ दिया गया है | आगे यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता के दावे को इस कारण से अस्वीकार करना कि उसके पिता की मृत्यु के समय उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक है, टिकाऊ नहीं है और 2003 की नियमावली के नियम 8 के अनुसार याचिकाकर्ता अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र है।

(5). इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु की तारीख पर, 1995 के निर्देश लागू थे, लेकिन याचिकाकर्ता को केवल ऐसे निर्देशों के आधार पर 'अनुकंपा के आधार' पर नियुक्ति मांगने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा भी बार-बार यह माना गया है कि बिना सोचे समझे अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का निर्देश देना न्यायालयों के लिए उचित नहीं होगा। यह अभिनिर्णीत किया गया कि संबंधित प्राधिकारी को मृतक के परिवार की वित्तीय स्थिति की जांच करनी होगी और यह केवल तब किया जाता है जब प्राधिकृति संतुष्ट होता है कि नौकरी की प्रावधान के बिना, परिवार संकट का सामना नहीं कर सकेगा, तब परिवार के पात्र सदस्य को नौकरी प्रदान की जानी चाहिए। ऐसे रोजगार पर विचार करना कोई निहित अधिकार नहीं है। अनुकंपा के आधार पर रोजगार देने का उद्देश्य केवल परिवार को उस वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाना है जिसका सामना उसे एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु के समय करना पड़ता है। इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा "**गुरदेवी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य,"**[3] में निम्नलिखित अभिनिर्णीत किया था:-

> "xx xx xxxx
>
> 4. उपरोक्त टिप्पणियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि बिना सोचे समझे अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का निर्देश देना माननीय उच्च न्यायालय के लिए उचित नहीं होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने **उमेश नागपाल** के मामले में स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार या संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण को मृतक के परिवार की वित्तीय स्थिति की जांच करनी होगी, और यह केवल तब किया जाना चाहिए, जब यह संतुष्ट होता है कि नौकरी की प्रावधान के बिना परिवार

[1] 2007(3) R.S.J 121
[2] 2007(1) R.S.J 235
[3] 2005(2) P.L.R. 516

संकट का सामना नहीं कर सकेगा, तब परिवार के पात्र सदस्य को नौकरी प्रदान की जानी चाहिए। यह भी माना गया है कि सबसे निचले पद पर भी रोजगार का प्रावधान केवल गरीबी के खिलाफ राहत के रूप में उचित ठहराया जा सकता है। यह भी निश्चित किया जाना चाहिए कि मृतक के निराश्रित परिवार के मुकाबले लाखों अन्य परिवार हैं जो समान रूप से, यदि अधिक नहीं तो निराश्रित हैं। ऐसे रोजगार पर विचार करना कोई निहित अधिकार नहीं है। अनुकंपा के आधार पर रोजगार देने का उद्देश्य केवल परिवार को उस वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाना है जिसका सामना उसे एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु के समय करना पड़ता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून की स्पष्ट व्याख्या के मद्देनजर, यह मानना संभव नहीं होगा कि याचिकाकर्ता को मनमाने ढंग से या अनुचित तरीके से नियुक्ति से वंचित किया गया है। **उमेश नागपाल** के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून को **हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड बनाम नरेश तंवर और अन्य, 1996 (2) SCT 778 (SC): 1996 (8) SCC 23**के मामले में दोहराया गया है। यह दोहराया गया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति खुली भर्ती के सामान्य नियम का अपवाद है, जिसका उद्देश्य मृत कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को होने वाली तत्काल वित्तीय समस्या का समाधान करना है। जैसा कि पहले देखा गया था, याचिकाकर्ता के पति को चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उन्हें वैधानिक सेवा नियमों के अनुसार सेवा से मुक्त कर दिया गया था। संभवत: नियमों के तहत उन्हें सभी सेवानिवृत्ति लाभ दिए गए थे। याचिकाकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए 2003 के नियमों के तहत अनुकंपा आधार पर किसी भी नियुक्ति का हकदार नहीं होगा|

(6) इस न्यायालय की खंडपीठ ने," **विजय कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य**"[4] में 2003 के नियमों और समय-समय पर हरियाणा राज्य द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर विचार किया और अभिनिर्णीत किया कि 1995 के निर्देशों सहित अन्य निर्देशों को निरस्त कर दिया गया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत नियम प्रख्यापित किए गए हैं | 2003 के नियमों में निर्धारित उद्देश्य "**उमेश**

[4] 2005(3) S.C.T. 750

कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य "[5] मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप है। निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था: —

XX XX XX XX

12. सभी नियमों को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 55 वर्ष या उससे अधिक की आयु में मृत्यु हो जाने वाले मृत कर्मचारी के आश्रितों के मामले में, अनुकंपा के आधार पर कोई नियुक्ति नहीं दी जाएगी। आश्रित केवल 2.5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि के भुगतान के हकदार हैं।2003 के नियमों के नियम 2 के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि नियमों का उद्देश्य मृत कर्मचारी के परिवार को रोटी कमाने वाले के नुकसान के परिणामस्वरूप स्थिति से निपटने में सहायता करना है।2003 के नियमों में निर्धारित उद्देश्य उमेशा नागपाल के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप है, जिसमें निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है: -

"इस प्रकार अनुकंपा रोजगार देने का पूरा उद्देश्य परिवार को अचानक आने वाले संकटों से निपटने में सक्षम बनाना है| इसका उद्देश्य ऐसे परिवार के किसी सदस्य को मृतक द्वारा धारित पद के बदले कोई पद देना नहीं है। कार्य के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु मात्र से उसके परिवार को आजीविका के ऐसे स्रोत का अधिकार नहीं मिल जाता। इन्हीं कारणों से हम कुछ उच्च न्यायालयों के निर्णयों की सराहना करने की स्थिति में नहीं हैं, जिन्होंने या तो matter of course में या श्रेणी III और IV से ऊपर के पदों पर अनुकंपा रोजगार को उचित ठहराया है और यहां तक कि निर्देश दिया है। हमें यह जानकर भी निराशा हुई है कि **सुषमा गोसाईं और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, 1989 (4) एसएलआर-327** में इस न्यायालय के फैसले को विकृत करने की हद तक गलत व्याख्या की गई है| यह निर्णय न तो अनुकंपा आधार पर रोजगार को और न ही तृतीय और चतुर्थ श्रेणी से ऊपर के पदों पर रोजगार को उचित ठहराता है।''

13. उपरोक्त टिप्पणियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का निर्देश देना उच्च न्यायालय के लिए उचित नहीं होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उमेश नागपाल के मामले में स्पष्ट रूप से

[5] 1994(2) S.C.T. 174

कहा है कि सरकार या संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण को मृतक के परिवार की वित्तीय स्थिति की जांच करनी होगी, और यह केवल तब किया जाना चाहिए, जब यह संतुष्ट होता है कि नौकरी की प्रावधान के बिना परिवार संकट का सामना नहीं कर सकेगा, तब परिवार के पात्र सदस्य को नौकरी प्रदान की जानी चाहिए। यह भी माना गया है कि सबसे निचले पद पर भी रोजगार का प्रावधान केवल गरीबी के खिलाफ राहत के रूप में उचित ठहराया जा सकता है। यह भी निश्चित किया जाना चाहिए (कि मृतक के निराश्रित परिवार के मुकाबले लाखों अन्य परिवार हैं जो समान रूप से, यदि अधिक नहीं तो निराश्रित हैं। ऐसे रोजगार पर विचार करना कोई निहित अधिकार नहीं है।"

xx xx xxxx."

(7) **"बिजेंद्र सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य"[6] में"**, इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने पाया कि कार्यकारी निर्देश, जो नियमों के विपरीत हैं, नियमों पर हावी नहीं होंगे| निम्नलिखित अभिनिर्णीत किया गया:-

"Xx xx xx

8. हम यह भी स्वीकार नहीं कर सकते कि याचिकाकर्ता के दावे को 2 दिसंबर, 1975 और 23 नवम्बर, 1992 के निर्देशों के अंतर्गत विचारित किया जाना चाहिए। 2003 के नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत तैयार किए गए हैं। इन्हें कार्यकारी निर्देशों पर हावी होना होगा, खासकर जब बनाए गए निर्देश नियमों के प्रावधानों के विपरीत हों। यह कानून का एक स्थापित प्रस्ताव है कि कार्यकारी निर्देश केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियमों के पूरक हो सकते हैं, न कि प्रतिस्थापित। हम इस दृष्टिकोण के लिए **संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य**, **1967 SLR 906** मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से समर्थन लेते हैं, जिसमें इसे निम्नानुसार अभिनिर्णीत किया गया है:-

"6 यह सच है कि कि सरकार प्रशासनिक निर्देशों द्वारा विधिक नियमों को संशोधित या निरस्त नहीं कर सकती है लेकिन यदि नियम किसी विशेष बिंदु पर चुप हैं, तो सरकार अंतराल को भर सकती है और नियमों को

[6] 2005(2) P.L.R. 559

पूरक कर सकती है और ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो पहले से बनाए गए नियमों से असंगत नहीं हैं।

xxxx xxxx."

(8) आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने **"I.G. (कर्मिक) और अन्य बनाम M. वी. प्रहलाद मणि त्रिपाठी "**[7] के मामले में यह निर्णय दिया है कि सार्वजनिक रोजगार सार्वजनिक सम्पति है और इसे वंशगत नहीं दिया जा सकता है। निम्नानुसार अभिनिर्णीत किया गया है:-

"xx xx xx xx
5. राज्य के कर्मचारी को एक दर्जा प्राप्त होता है| राज्य के कर्मचारियों की भर्ती को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के संलग्न उपदेश के तहत तैयार किए गए नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नियुक्ति के मामले में, राज्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता की संवैधानिक योजना को प्रभावी बनाने के लिए बाध्य है। इसलिए, सभी नियुक्तियाँ उक्त संवैधानिक योजना के अनुरूप होनी चाहिए। हालाँकि, इस न्यायालय ने उक्त प्रस्ताव पर जोर देते हुए उस अधिकारी के बच्चों या अन्य रिश्तेदारों के पक्ष में एक अपवाद पेश किया, जिनकी पुलिस विभाग में सेवाएँ प्रदान करते समय मृत्यु हो जाती है या जो अक्षम हो जाते हैं।

6. सार्वजनिक रोजगार को सार्वजनिक सम्पति माना जाता है। इसे संवैधानिक योजना के अनुसार वंशगत नहीं दिया जा सकता| जब इस न्यायालय द्वारा ऐसा अपवाद बनाया गया है, तो उसका सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति केवल रोटी कमाने वाले की मृत्यु के कारण परिवार को होने वाली तात्कालिक कठिनाई को पूरा करने के लिए दी जाती है। जब कोई नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर की जाती है, तो उसे केवल उस उद्देश्य तक ही सीमित रखा जाना चाहिए जिसे वह प्राप्त करना चाहता है, इसका उद्देश्य अंतहीन अनुकंपा प्रदान करना नहीं है।

xx xx xxxx".

(9) "**भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बनाम सोमवीर सिंह**"[8] में (8)"**,** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि अनुकंपा के आधार पर रोजगार का अंधाधुंध अनुदान नियोजित युवाओं की बढ़ती आबादी के लिए रोजगार के दरवाजे बंद कर देगा। इसके अलावा निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है: -

---

[7] 2007(6) S.C.C. 162
[8] 2007(4) S.C.C. 778

"xx xx xx xx

10. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता बैंक को केवल उसके द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के अनुरोध पर विचार करने की आवश्यकता है और योजना से बाहर अनुकंपा नियुक्ति करने के लिए किसी भी अधिकारी के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है।हमारी सुविचारित राय में अनुकंपा नियुक्ति का दावा और अधिकार, यदि कोई हो, अनुकंपा के आधार पर रोजगार प्रदान करने के मामले में नियोक्ता द्वारा बनाई गई योजना, कार्यकारी निर्देशों, नियमों आदि से ही पता लगाया जा सकता है।जैसा भी मामला हो, नियोक्ता द्वारा योजना या निर्देशों के माध्यम से दिए गए आधार, यदि कोई हो, के अलावा किसी भी आधार पर अनुकंपा नियुक्ति का दावा करने का किसी भी प्रकृति का कोई अधिकार नहीं है।

xx xx xxxx."

(10) "भारतीय स्टेट बैंक बनाम जसपाल कौर"[9] मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी नियोक्ता को अनुकंपा नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाली उसकी नीति(policy) की शर्तों के विपरीत कार्य करने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता है, न ही अनुकंपा नियुक्ति को नीति से परे निर्देशित किया जा सकता है। **"हरियाणा राज्य और अन्य बनाम अंकुर गुप्ता"[10]** में अनुकंपा आधार पर हुई नियुक्ति को निरस्त किया गया क्योंकि यह पाया गया कि संशोधित नीति के तहत ऐसी नियुक्ति अनुमति देने के लिए योग्य नहीं थी | यह अभिनिर्धारित किया कि प्राधिकरण को ऐसे नियम, विधियाँ या प्रशासनिक आदेश तैयार करने की आवश्यकता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के परीक्षण को पार कर सकते हैं। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। यह पाया गया कि सरकारी निर्देशों के अनुसार, केवल मृत सरकारी कर्मचारी के वे आश्रित जिनकी पारिवारिक आय 2,500 रुपये प्रति माह तक है को सरकारी सेवा में नियुक्त किया जा सकता है| यह पाया गया कि शर्तों में छूट दी गई थी, हालांकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है

[9] 2009(9) S.C.C. 571
[10] 2003(7) S.C.C. 704

जिसके तहत छूट की अनुमति थी। उक्त निष्कर्ष के मद्देनजर नियुक्ति रद्द करने का आदेश कायम रखा गया|

(11) **नीरज मलिक के मामले (सुप्रा)** में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले, जिस पर याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने भरोसा किया था, को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Special Leave to Appeal (Civil) No. 18972 of 2006 में 13 जुलाई, 2007 के आदेश के तहत रोक लगा दी है। "**अभिषेक कुमार के मामले** (सुप्रा) में निर्णय अपने स्वयं के तथ्यों पर था क्योंकि भले ही याचिकाकर्ता को राज्य द्वारा नियुक्ति की पेशकश की गई थी, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट ने पद प्रदान करने से इनकार कर दिया था। यह मामले के तथ्य थे जिसके कारण आदेश पारित हुआ। कानून का कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया गया है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि कर्मचारी की मृत्यु के समय जो नियम अस्तित्व में हैं वे लागू होंगे।

(12) वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु की तारीख पर, कार्यकारी निर्देश अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को विनियमित कर रहे थे| इसके बाद, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को विनियमित करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के अनुसार नियम तैयार किए गए हैं| नियम बनाए जाने के बाद, याचिकाकर्ता कार्यकारी निर्देशों का संदर्भ नहीं दे सकता ,क्योंकि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एक अधिकार नहीं है, बल्कि मृतक परिवार के आश्रित सदस्यों को वित्तीय संकट से निपटने के लिए दी गई अनुशंसा है , इसलिए, उक्त नियम उन सभी मामलों पर लागू होंगे जो 2003 के नियम बनाए जाने के समय लंबित थे | वास्तव में, ये नियमों के विशिष्ट प्रावधान भी हैं। चूंकि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एक अधिकार नहीं है, बल्कि एक रियायत है, इसलिए, ऐसी रियायत को उत्तरदाताओं द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार नियंत्रित किया जाना चाहिए।

(13) याचिकाकर्ता का "**रघबीर सिंह बनाम उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और अन्य "**[11] मामले का सन्दर्भ फिर से तर्कसंगत नहीं है। 2003 के नियमों को बनाने का उद्देश्य मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को दो विकल्प देकर रोजी-रोटी कमाने वाले के नुकसान के कारण उत्पन्न आकस्मिक स्थिति से निपटने में सहायता करना है।**पहला विकल्प** परिवार के उस सदस्य को अनुकंपा के आधार पर अनुग्रह नियुक्ति देना है जो पूरी तरह से मृत कर्मचारी पर निर्भर है और **दूसरा विकल्प** मृतक के परिवार को अनुग्रह अनुकंपा वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अन्य सभी लाभों से ऊपर, जैसे कि उसके परिवार को देय अनुग्रह अनुदान, उस स्थिति में जहां मृतक का परिवार अनुग्रह रोजगार का विकल्प नहीं चुनता है।उपरोक्त नियमों में, नियम 3(ई) / 3(e)में 'आश्रित' को 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अविवाहित बेटी और बेटे के रूप

[11] 2006(4) RSJ 162

में परिभाषित किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा 2003 के नियमों के नियम 3 (ई) के खंड (ii) और (iii) में संशोधन करते हुए 17 दिसंबर, 2004 की अधिसूचना के माध्यम से 25 वर्ष की आयु को बढ़ाकर 30 वर्ष कर दिया गया है, जिसमें पुत्र या 30 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक बेटी आश्रित होती है। 2003 के नियमों का नियम 8, विवाहित पुत्र की पात्रता के मानदंड निर्धारित करता है। इससे पहले, ऐसे नियमों को 10 फरवरी, 2004 को संशोधित किया गया था, जिसके तहत 2003 के नियमों के नियम 2 में (iii) जोड़कर तीसरा विकल्प पेश किया गया था।संशोधित नियम इस प्रकार हैं:-

> "**2. नियमों का उद्देश्य: —** नियमों का उद्देश्य मृत कर्मचारी के परिवार को निम्नलिखित में से कोई एक विकल्प देकर रोटी कमाने वाले की हानि के परिणामस्वरूप आपातकालीन स्थिति से निपटने में सहायता करना है।
>
> ***i.*** परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर अनुग्रह नियुक्ति*,* जो पूरी तरह से मृत कर्मचारी पर निर्भर था और मृतक के नुकसान के कारण अत्यधिक वित्तीय संकट में है*,* अर्थात् सरकारी कर्मचारी जो सेवा में मर जाता है***;***
>
> ***ii.*** *ex-gratia compassionate* मृतक के परिवार को वित्तीय सहायता, उसके परिवार को देय अनुग्रह अनुदान जैसे अन्य सभी लाभों के अलावा 2.5 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा, ऐसे मामलों में जहां मृतक का परिवार अनुग्रह रोजगार का विकल्प नहीं चुनता है;
>
> ***iii.*** *ex-gratia compassionate* मृत सरकारी कर्मचारियों के परिवार को ऐसे मामले में जहां सरकारी कर्मचारी की 55 वर्ष की आयु या उसके बाद मृत्यु हो जाती है 2.5 लाख रुपये की दर से वित्तीय सहायता का भुगतान किया जाएगा;
>
> **3. परिभाषाएँ। —** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यकता न हो —
>
> **(a)** xx xx xx xx
>
> **(b)** xx xx xx xx
>
> **(c)** xx xx xx xx

(d) "मृतक सरकारी कर्मचारी" का अर्थ है वह सरकारी कर्मचारी: —

(i) नियमित आधार पर नियुक्त और दैनिक वेतन , आकस्मिक, प्रशिक्षु, कार्य प्रभारित, तदर्थ, संविदात्मक या पुन: रोजगार के आधार पर पर काम नहीं करने वाले, ,

(ii) जिन्होंने कम से कम 3 वर्षों.के लिए सरकार की सेवा की है |

(e) "निर्भर" का अर्थ है: —

i. मृतक सरकारी कर्मचारी या लापता सरकारी कर्मचारी का जीवनसाथी ;

ii. पुत्र (दत्तक पुत्र सहित) जब तक वह 30 वर्ष की आयु को पूरा नहीं कर लेता है, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) में परिकल्पित गोद लेने का प्रमाण देना होगा।

iii. अविवाहित पुत्री (दत्तक पुत्री सहित) जब तक वह 30 वर्ष की आयु को पूरा नहीं कर लेती है, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) में परिकल्पित गोद लेने का प्रमाण देना होगा।

4. विकल्प: (1) मृत/लापता सरकारी कर्मचारी के आश्रित को सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से 3 साल के भीतर निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प के लिए अपनी प्राथमिकता लिखित में देनी होगी:-

***(i)*,** परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर अनुग्रह नियुक्ति, जो पूरी तरह से मृत कर्मचारी पर निर्भर था और मृतक के नुकसान के कारण अत्यधिक वित्तीय संकट में है, अर्थात् सरकारी कर्मचारी जो सेवा में मर जाता है;

(ii) ex-gratia compassionate मृतक के परिवार को वित्तीय सहायता, उसके परिवार को देय अनुग्रह अनुदान जैसे अन्य सभी लाभों के अलावा 2.5 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा, ऐसे मामलों में जहां मृतक का परिवार अनुग्रह रोजगार का विकल्प नहीं चुनता है;

(iii) ex-gratia compassionate मृत सरकारी कर्मचारियों के परिवार को ऐसे मामले में जहां सरकारी कर्मचारी की 55 वर्ष

की आयु या उसके बाद मृत्यु हो जाती है 2.5 लाख रुपये की दर से वित्तीय सहायता का भुगतान किया जाएगा;

2. विकल्प के प्रयोग की अनुमति केवल एक बार दी जाएगी और एक बार प्रयोग करने के बाद बदला नहीं जाएगा

xx xx xxxx

8 पात्रता का मानदंड :

इन नियमों के तहत पात्रता के मानदंड निम्नानुसार होंगे : —

(a) x x x x xx

(b) x x x x xx

(c) x x x x x

(d) x x x x x

(e) मृतक का विवाहित पुत्र तभी पात्र होगा यदि परिवार का कोई अन्य सदस्य सरकारी सेवा के लिए पात्र नहीं है और उसका जीवनसाथी पहले से ही सरकारी सेवा में नहीं है और अविवाहित आश्रित पात्र सेवा में शामिल होने के लिए इच्छुक नहीं है और इस आशय का शपथ पत्र दे;

(f) जहां मृत सरकारी कर्मचारी का आश्रित किसी भी आधार पर या सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के तीन साल के भीतर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता है, वह अनुग्रह अनुकंपा वित्तीय सहायता के लिए भी पात्र नहीं होगा।

(14). **रघबीर सिंह के मामले (सुप्रा)** में, न्यायालय ने 2003 के नियमों के नियम 8 का सन्दर्भ देते हुए अभिनिर्णीत किया कि विवाहित बेटा नियुक्ति के लिए पात्र है, और उत्तरदाताओं को नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया है। वर्तमान मामले में, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता का दावा 24 दिसंबर, 2003 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ता के मृत पिता ने अपनी मृत्यु से पहले 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी। ऐसे मृत सरकारी कर्मचारियों के संबंध में, पूर्वोक्त नियमों में तीसरा विकल्प पूर्वव्यापी प्रभाव से पेश किया गया है, यानी 2003 के नियमों के निर्माण की तारीख से, ताकि2.5 लाख रुपये की अनुग्रह अनुकंपा वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके।अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाने के लिए नियम 8 में पात्रता के मानदंड

केवल तभी पुरे होंगे , जब अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति चाहने वाला आवेदक आश्रित हो, जैसा कि उपरोक्त नियमों के नियम 3 (ई) में परिभाषित किया गया है। नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार विभागाध्यक्ष को मृत कर्मचारी के परिवार के पूर्णतः आश्रित निर्धन सदस्य को नियुक्ति/वित्तीय सहायता देनी है। अपने पिता की मृत्यु के समय याचिकाकर्ता की आयु 30 वर्ष से अधिक है, इसलिए, संशोधित नियमों के अनुसार भी, नियम 6(1) read with 3(e) के संदर्भ में याचिकाकर्ता अपने पिता पर निर्भर नहीं था।इस प्रकार, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने के लिए 2003 के नियमों के नियम 8 के तहत परिभाषित पात्रता मानदंड संतुष्ट नहीं हैं। उक्त तथ्य के मद्देनजर, हमें याचिकाकर्ता के दावे में कोई योग्यता नहीं मिली कि वह अपने पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर नियुक्त होने का हकदार है, जिनकी उम्र उस समय 55 वर्ष और 8 महीने से अधिक थी। और इस कारण से भी कि याचिकाकर्ता अपने पिता की मृत्यु की तिथि पर 33 वर्ष का था।

(15) हालाँकि, सवाल यह उठता है कि क्या मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित 2003 के नियमों के नियम 2 (iii) के अनुसार अनुग्रह अनुकंपा वित्तीय सहायता के हकदार हैं? 2003 के नियमों के नियम 2 *(iii)* के अनुसार, यदि उक्त सरकारी कर्मचारी की मृत्यु 55 वर्ष की आयु या उसके बाद नौकरी में रहते हो जाती है, तो मृत्यु होने वाले सरकारी कर्मचारी के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में अनुग्रह अनुकंपा की आवश्यकता है। अवश्य ही, याचिकर्ता की मां ने याचिकर्ता के लिए अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। ऐसा आवेदन कहीं जनवरी 2002 के महीने में किया गया होगा, क्योंकि प्रतिवादी नंबर 2 ने याचिकाकर्ता का मामला 24 जनवरी, 2002 को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए भेजा था। सरकारी कर्मचारी के मामले में, जिनकी उम्र 55 वर्ष या उससे अधिक होने के बाद मृत्यु हो गई है, नियम 2(iii) और नियम 4(C) के संदर्भ में एकमात्र विकल्प रुपये 2.5 लाख की अनुकंपा आर्थिक सहायता प्रदान करने का है।

(16) उत्तरदाताओं ने 24 दिसंबर, 2003 को अनुकंपा नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया, लेकिन वित्तीय सहायता अनुदान की वैकल्पिक राहत के मामले पर विचार नहीं किया।वास्तव में, 10 फरवरी, 2004 को संशोधन किए जाने के बाद, लेकिन 2003 के नियम बनाए जाने की तारीख से, उत्तरदाता अनुग्रह मुआवजे के अनुदान के लिए मृत कर्मचारी के आश्रित सदस्यों के दावे पर विचार करने के लिए बाध्य थे। चूंकि इस तरह के दावे पर 2003 के नियमों के संदर्भ में विचार नहीं किया गया है और इस बीच, हरियाणा मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा सहायता नियम, 2006 (इसके बाद 2006 के नियमों के रूप में संदर्भित) 1 अगस्त, 2006 को तैयार किए गए हैं। , जिन्हें प्रतिवादी निगम द्वारा अपनाया गया है, इसलिए, 2006 के नियमों के नियम 6 के संदर्भ में, याचिकाकर्ता को 2003 के नियमों के अनुसार एकमुश्त अनुग्रह मुआवजा या 2006 के नियमों के अनुसार मासिक वित्तीय सहायता के लिए एक विकल्प दिया जाना आवश्यक था।

(17) इसलिए, हम प्रतिवादियों को यह निर्देश देते हुए वर्तमान रिट याचिका का निपटारा करते हैं कि वे याचिकाकर्ता को हरियाणा मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा सहायता नियम, 2003 या हरियाणा मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा सहायता नियम, 2005, संदर्भ में एकमुश्त अनुग्रह मुआवजा मांगने का विकल्प दें या 2006 नियम के अनुसार मासिक मुआवजा । आज से एक महीने की अवधि के भीतर विकल्प दिया जाएगा और विकल्प प्राप्त होने के एक महीने की अवधि के भीतर मृत कर्मचारी के आश्रित सदस्यों को आवश्यक लाभ का भुगतान किया जाएगा।

(18) पूर्वोक्त निर्देशों के साथ, वर्तमान रिट याचिका का निपटारा किया जाता है|

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

निशा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
रेवाड़ी,हरियाणा

कुल्दिप कुमार . बनाम प्रबंध निदेशक, UHBVN & अन्य
*(**हेमंत** गुप्ता, जे)*